



Neutral Citation No.-2026:AHC:9604

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-40828 वर्ष 2024

श्रीमती माधुरी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: चंद्र भान दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता श्री चंद्र भान दुबे, आवेदक के अधिवक्ता और श्री जय किशन चौरसिया, राज्य विधि अधिकारी के बारे में बात करते हुए सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2023 के अपराध संख्या-89 में भ०द०वि०, थाना-रक्षा, जिला: झांसी की धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, कुलदीप चतुर्वेदी उर्फ गोलू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 23.9.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जो 2025 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-6631 में पारित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की हकदार है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। वह 16.4.2023 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी।

6. ज़मानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 3.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, एक गवाह से पूछताछ की गई है और उससे जिरह की जा रही है, इसलिए निकट भविष्य में विचारण के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 और के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक एक महिला होने के नाते, इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने की हकदार है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक- श्रीमती माधुरी, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 14, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)